बी- 14 फार्म 330-562

विविध वाद 44/16-17

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से .... तक।

जिला –गढ़वा विविध वाद सं0- 44/2016-17

केश का प्रकार– अवैध जमाबंदी को रद्द करने के संबंध में। सन 2016–17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17.03.2016	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गढ़वा के पत्रांक–244 दिनांक–16.03.2016 द्वारा प्राप्त पत्र में संलग्न आवेदन में आवेदक श्री बलराम राय पिता–स्व0 बैजनाथ राय वो जगरानी कुंवर पति–स्व0 बैजनाथ राय ग्राम– उंचरी द्वारा प्राप्त आवेदन में ग्राम–उंचरी के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–3.90 एकड़ भूमि का अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। ह0 / 17.03. अंचल अधिकारी गढ़वा।	
27.02.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जॉच प्रतिवेदन मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम ऊंचरी के खाता संख्या 44 प्लॉट संख्या 435 कुल रकबा 3.90 एकड़ भूमि खतियानी रकबा है। अन्य प्लॉटों के साथ कुल रकबा 7.38 एकड़ भूमि सुखनाथ राय पिता गुरुजी राम के नाम से कायमी खतियान बना था। सुखनाथ राम ने उक्त जमाबंदी से कोई भूमि का बिक्री नहीं किया। सुखनाथ राम के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगेसर राम भूमि पर काबीज रहे। जगेसर राय के मृत्यु के बाद एक मात्र पुत्र बैजनाथ राम काबिज हो कर एक पुत्र बलराम राम को छोड़कर कब्जा कर गये। उक्त भूमि से खाता संख्या 44 प्लॉट संख्या-435 रकबा 1.95 एकड़ भूमि का मांग लालजी मिस्त्री पिता मंगो मिस्त्री के नाम से मांग पंजी II के पृष्ठ सं0 84 पर	

Scanned with CamScanner

27.02.2017	मांग चलता है जिसमें प्राधिकार कलाँम मे खाता $\frac{84}{6}$ से आगा दर्ज है। उक्त जमाबंदी उक्त खाता पर वर्ष 1976-77 से संधारित है। लाल जी मिस्त्री को भूमि कैसे दाखिल है स्पष्ट नहीं होता है। जबकि जगेसर राय के नाम से ग्राम ऊंचरी के खाता संख्या $\frac{12}{1}$ पर मांग चलता है परन्तु मांग पंजी II के खाता सं० $\frac{12}{1}$ से रकबा घटाया नहीं गया है। उनके खाता से अन्य रैयतों का मांग घटाया गया है।
	आवेदक द्वारा प्रस्तुत केवाला संख्या 1009 दिनांक 24.03.1955 के द्वारा विक्रेता धुरा देवी पति जगेसर राय सुदबली नाबालिक पुत्र बैजनाथ राय के द्वारा भूमि बिक्री किया गया। उक्त केवाला रजिस्ट्री के समय बैजनाथ राय बालिक थे। धुरा देवी के द्वारा मूल केवाला नहीं किया गया है। जाली दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी कायम किया गया है। आज भी उक्त रैयत के संतान बड़ी लड़की के उम्र 54 वर्ष के ऊपर है जिसको देखने से स्पष्ट होता है कि, धुरा देवी के द्वारा किया गया दस्तावेज जाली प्रतीत होता है।
	हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करें।
	ह० 27/2 अंचल अधिकारी गढ़वा
3.03.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित हुये और अपना-अपना राजस्व कागजात प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों के पक्ष सुनने के पश्चात सुनवाई की अगली तिथि 12.04.2017 को निर्धारित किया गया।
	ह० अंचल अधिकारी गढ़वा
12.04.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। सुनवाई की अगली तिथि 26.04.2017 को निर्धारित किया गया।
	ह० 12/4

Scanned with CamScanner

... सं० 48

अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित हुये। प्रथम पक्ष आवेदक द्वारा बताया गया कि ग्राम ऊँयारी के खाता संख्या 44 प्लॉट सं० 435 रकबा 3.90 एकड़ भूमि खतियानी भूमि है। उक्त भूमि को मेरे वंशज पूर्वज के द्वारा भूमि बिक्री नहीं किया गया है। विपक्षी का केवाला फर्जी है।

द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि ग्राम ऊँयारी के खाता सं० 44 प्लॉट संख्या 435 रकबा 1.95 एकड़ भूमि केवाला द्वारा खरीद की गई भूमि है।

प्रश्नगत भूमि का भौतिक एवं वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें तथा दोनों पक्षों के माँ से फर्द बयान हेतु पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
गढ़वा

0.9.09.17 अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम ऊँयारी के खाता सं 44 प्लॉट सं० 435 रकबा- 3.90 एकड़ भूमि पर खतियानी रैयत के वंशज बलराम राम पिता स्व० लालनाथ राम का दखल कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक का जोत कोड़ है। दोनों पक्षों के माँ का निधन हो चुका है इस कारण फर्द बयान नहीं लिया जा सका।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अवलोकन किया गया। अभिलेख में संलग्न सभी कागजात के अवलोकनोपरान्त वाद को अंतिम आदेश हेतु अभिलेख आगामी दिन रखें।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित
प्रतिवेदन एवं विभिन्न तिथियों में दोनों पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात का अवलोकन किया
विभिन्न तिथियों में सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों द्वारा रखे गये पक्ष के आधार पर ग्राम–उंचरी
खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 एवं अन्य प्लॉटों के साथ कुल रकबा–7.38 एकड़ भूमि सुखना
राय पिता–गुरु जी राय के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435
रकबा–3.90 एकड भूमि पर वर्तमान में खतियानी रैयत का वशंज आवेदक का दखल–कब्जा है। इसी
भूमि में से विक्रेता घुरा देवी पति–जगेसर राय मा0 खूद और जोहिमत माम हकिकी बली बैजनाथ राय
पिता–जगेसर राय द्वारा उक्त भूमि में से खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–1.95 एकड़ भूमि
का वर्ष–1955 में केवाला संख्या–1008 दिनांक–24.03.1955 के द्वारा क्रेता लाल जी मिस्त्री पिता–मुंशी
मिस्त्री के नाम से भूमि विक्री किया गया। केवाला अभिलेख में संलग्न है। विक्री के पश्चात् मांग
पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–84/1 पर मांग चलता है जिसमें प्राधिकार कॉलम में 87/1 से आया दर्ज
है। उक्त जमाबंदी इस पृष्ठ पर वर्ष 1976–77 से संधारित है। द्वितीय पक्ष विपक्षी से उक्त भूमि का
जमाबंदी कायम होने का आधार यथा नमांतरण वाद, विविध वाद एवं लगान निर्धारण वाद का वैध
राजस्व कागजात सुनवाई के क्रम में मांग किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
जगेसर राय के नाम से ग्राम–उंचारी के मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–12/1 पर मांग चलता है। मांग
पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–12./1 से रकबा घटाया नहीं गया है इसी पृष्ठ से अन्य रैयतो का मांग
घटाया गया है। उक्त प्रश्नगत भूमि के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–1.95 एकड़ भूमि
का विक्रेता घुरा देवी पति–जगेसर राय मा0 खूद और जोहिमत माम हकिकी बली बैजनाथ राय
पिता–जगेसर राय से खरिद किया गया केवाला में उल्लेख है, परन्तु आज भी उक्त रैयत जगेसर राय
के संतान बड़ी लड़की के उर्म लगभग 54 वर्ष से उपर हैं, तो केवाला में बैजनाथ राय पिता–जगेसर
राय का नबालिक दिखया जाना एवं बिना कोई वैध राजस्व कागजात यथा नमांतरण वाद, विविध वाद
एवं लगान निर्धारण वाद के बिना जमाबंदी कायम किया जाना संदेहास्पद है। वर्तमान में ग्राम–उंचारी
के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 खतियानी रकबा–3.90 एकड़ भूमि पर जगेसर राय के वशंज
आवेदक श्री बलराम राय पिता–स्व0 बैजनाथ राय का दखल–कब्जा है। उक्त प्रश्नगत भूमि
ग्राम–उंचरी के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–1.95 एकड़ भूमि का मांग लाल जी मिस्त्री
पिता–मुंशी मिस्त्री के नाम से पेज संख्या–84/1 पर मांग कायम है और वर्ष 1976–77 से लगान
रसीद निर्गत किया जा रहा है। उक्त भूमि का लंबी अवधि से मांग कायम होने के कारण जमाबंदी
खारिज करने का अंचलाधिकारी समक्ष प्राधिकार नहीं है। लंबी अवधि से कायम जमाबंदी को खारिज
करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु......अनुशंसा.....की जाती है।
अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं विभिन्न तिथियों में दोनों पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात का अवलोकन किया एवं विभिन्न तिथियों में सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों द्वारा रखे गये पक्ष के आधार पर ग्राम–उंचरी के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 एवं अन्य प्लॉटों के साथ कुल रकबा–7.38 एकड़ भूमि सुखनाथ राय पिता–गुरू जी राय के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–3.90 एकड़ भूमि पर वर्तमान में खतियानी रैयत का वशंज आवेदक का दखल–कब्जा है। इसी भूमि में से विक्रेता घुरा देवी पति–जगेसर राय मा0 खूद और जोहिमत माम हकिकी बली बैजनाथ राय पिता–जगेसर राय द्वारा उक्त भूमि में से खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–1.95 एकड़ भूमि का वर्ष–1955 में केवाला संख्या–1008 दिनांक–24.03.1955 के द्वारा क्रेता लाल जी मिस्त्री पिता–मुंशी मिस्त्री के नाम से भूमि विक्री किया गया। केवाला अभिलेख में संलग्न है। विक्री के पश्चात् मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–84/1 पर मांग चलता है जिसमें प्राधिकार कॉलम में 87/1 से आया दर्ज है। उक्त जमाबंदी इस पृष्ठ पर वर्ष 1976–77 से संधारित है। द्वितीय पक्ष विपक्षी से उक्त भूमि का जमाबंदी कायम होने का आधार यथा नमांतरण वाद, विविध वाद एवं लगान निर्धारण वाद का वैध राजस्व कागजात सुनवाई के क्रम में मांग किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जगेसर राय के नाम से ग्राम–उंचारी के मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–12/1 पर मांग चलता है। मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–12./1 से रकबा घटाया नहीं गया है इसी पृष्ठ से अन्य रैयतो का मांग घटाया गया है। उक्त प्रश्नगत भूमि के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–1.95 एकड भूमि का विक्रेता घुरा देवी पति–जगेसर राय मा0 खूद और जोहिमत माम हकिकी बली बैजनाथ राय पिता–जगेसर राय से खरिद किया गया केवाला में उल्लेख है, परन्तु आज भी उक्त रैयत जगेसर राय के संतान बड़ी लड़की के उर्म लगभग 54 वर्ष से उपर हैं, तो केवाला में बैजनाथ राय पिता–जगेसर राय का नबालिक दिखया जाना एवं बिना कोई वैध राजस्व कागजात यथा नमांतरण वाद, विविध वाद एवं लगान निर्धारण वाद के बिना जमाबंदी कायम किया जाना संदेहास्पद है। वर्तमान में ग्राम–उंचारी के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 खतियानी रकबा–3.90 एकड़ भूमि पर जगेसर राय के वशंज आवेदक श्री बलराम राय पिता–स्व0 बैजनाथ राय का दखल–कब्जा है। उक्त प्रश्नगत भूमि ग्राम–उंचरी के खाता संख्या–44 प्लॉट संख्या–435 रकबा–1.95 एकड़ भूमि का मांग लाल जी मिस्त्री पिता–मुंशी मिस्त्री के नाम से पेज संख्या–84/1 पर मांग कायम है और वर्ष 1976–77 से लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है। उक्त भूमि का लंबी अवधि से मांग कायम होने के कारण जमाबंदी खारिज करने का अंचलाधिकारी समक्ष प्राधिकार नहीं है। लंबी अवधि से कायम जमाबंदी को खारिज करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु......अनुशंसा.....की जाती है।

अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।